राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला – श्रीगंगानगर (राज0)
फैक्स- 01509- 223877
दूरभाष : 01509.220084, 220006, 221420, 223876
मुख्यालय – बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली–12
H.O. : Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi - 12

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
Central State Farm, Suratgarh
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 01509-220084, 220006, 221420, 223876
e-mail – CSFSURATGARH @redifmail.com

क्रमांक:सीएसएफ / एसओजी / 5–3 / साम0 / 19– दिनांक जून, 2019

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम की ईकाई केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के खण्ड–2 कालोनी, डिस्पेन्सरी, वर्कशाप कैम्पस, खण्ड– नं0–2 कैम्पस की सफाई एवं देखभाल हेतु निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 25–6–2019 को दिन के दो बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा में भाग लेने हेतु धरोहर राशि के रूप में अखरे रूपये 2000–00 का डी0डी0 फार्म के खजांची के पास जमा कराना / निविदा के साथ संलग्न करना होगा । निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्ते रूपये 118–00 (रूपये 100–00 टेण्डर की कीमत एवं रूपये 18–00 जी0एस0टी0) जमा करवा कर केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सुवह 10–00 बजे से सांय 5–00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं व निगम की बेबसाईट www.indiaseeds.com पर निविदा सम्बन्धी सूचना देखी जा सकती है ।

प्रबन्धक (मा0सं0)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0)

सफाई कार्य का ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्ते

1– सफाई कार्य एवं हौदी / कुई फार्म के ट्रैक्टर, टैंकर द्वारा खाली करना और लैट्रीन की पाईप चौक होने पर उनको खोलना इत्यादि करने का क्षेत्र अग्रांकित है :–
केन्द्रीय कालोनी खण्ड–2, डिस्पेन्सरी, खण्ड–2 कैम्पस, वर्कशाप कैम्पस ।

2– इन क्षेत्रों में सफाई का कार्य करने हेतु निविदा प्रति माह की दर से दिनांक 25–6–2019 को सांय 2–00 बजे तक स्वीकार की जायेगी जो उसी दिन सांय 3–00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी । निविदा के साथ रूपये 2000–00 धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि एन0एस0सी0 लिमिटेड, सूरतगढ को देय हो साथ में संलग्न होना चाहिए ।

3– सफाई कार्य हेतु व्यक्तियों का प्रबन्ध करने एवं समय पर काम करवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उन व्यक्तियों को सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों / केयरटेकर के निर्देशानुसार कार्य करना होगा । सफाई का कार्य प्रातः 8–00 बजे से प्रारम्भ करना होगा ।

4– सफाई कार्य हेतु कम से कम 05 (पॉच) (02 सफाई कर्मचारी खण्ड परिक्षेत्र एवं 03 केन्द्रीय कालोनी बाबत) सफाई कर्मचारी लगाने होगे जो प्रातः 8–00 बजे कार्य प्रारम्भ करेगे । केयरटेकर द्वारा जिनकी रोजाना उपथिति लगाई जायेगी ।

5– ठेकेदार को सही प्रवृति के व्यक्तियों का प्रबन्ध करना होगा, उसके द्वारा लगाया गया कोई भी व्यक्ति अपराधिक / झगडालू प्रवृति का नहीं होना चाहिए । अगर ऐसा होता है तो तुरन्त उस व्यक्ति को हटाना होगा एवं मारपीट जैसी हरकत के लिए सफाई ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा ।

6– सफल ठेकेदार को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (Agreement) रूपये 100–00 (रूपये एक सौ के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा जिसमें सफाई कार्य के ठेके के नियम एवं शर्ते अंकित रहेगी ।

7– असफल निविदादाताओं / बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन वापिस कर दी जायेगी, जिस पर कोई व्याज देय नहीं होगा ।

8– सफल ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में समायोजित कर ली जायेगी, जो कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई व्याज देय नहीं होगा ।

9– ठेकेदार को पिछले माह का बिल अगले माह में सम्बन्धित केयर टेकर के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जिस पर सफाई ठेकेदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ।

10– अगर सफाई ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक नहीं होता है तो उसके लिए उचित राशि उसके बिल से काटी जायेगी। अगर ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो सफाई कार्य का ठेका किसी अन्य को दे दिया जायेगा उससे अगर फार्म को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसकी अमानत राशि एवं बकाया बिलों से की जायेगी ।

11– अगर किसी प्रकार का बैधानिक टैक्स उसके बिल पर लागू होगा या उस पर तो उसकी कटौती उसके बिल से की जायेगी ।

12– सफाई कार्य के लिए जो भी औजार, सामान इत्यादि प्रयोग में आता है वह ठेकेदार का होगा ।

13– सफाई कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी ।

14– टेण्डर के साथ पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी आवश्यक है ।

15– कोई भी सशर्त टेण्डर स्वीकार्य नहीं है ।

16– उपरोक्त ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मामला निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

17– घरों के अन्दर कोई भी सफाई कर्मचारी अलग से काम नहीं करेगा जब तक की केयर टेकर द्वारा उसे न बोला जाए ।

18– बाल एवं श्रम अधिनियमानुसार बच्चों व शराब पीए हुए व्यक्तियों को सफाई कार्य हेतु खण्ड–2, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के क्षेत्र में लाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है ।

19– सफाई ठेकेदार अपना ठेका किसी दूसरे सफाई ठेकेदार के नाम निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ की इजाजत के बगैर स्थानान्तरण नहीं कर सकता ।

20– किसी कारण से सफाई ठेकेदार के बिल के भुगतान में देरी होने पर भी सफाई ठेकेदार को कार्य करवाना होगा ।

21– सफाई ठेकेदार को उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों को भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी भी सफाई ठेकेदार की होगी एवं भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि फार्म द्वारा कभी भी जॉचा जा सकता है ।

22– सफाई ठेकेदार को हाउसकीपिंग / सफाई कार्य से सम्बन्धित 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है ।

23– Territorial Jurisdiction सूरतगढ़ न्यायलय का होगा ।